



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0 / 112/2026

दिनांक:- 21 जुलाई, 2026

कार्यालय आदेश

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25.06.2026 के मद सं0-7.10 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में मा0 कुलपति जी आदेशानुसार गठित समिति की संस्तुति "जहाँ किसी पाठ्यक्रम की न्यूनतम प्रवेश-पात्रता भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) किसी वैधानिक नियामक निकाय अथवा प्रचलित विधि द्वारा अनिवार्य रूप से से पृथक निर्धारित न की गई है, वहाँ कला संकाय के अन्तर्गत संचालित समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च शिक्षण संस्थान से किसी भी संकाय अथवा समकक्ष विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेश का पात्र होगा"

"Where the minimum eligibility for admission to a programme has not been specifically prescribed by the Government of India, the University Grants Commission (UGC), any statutory regulatory authority, or any law for the time being in force, a candidate holding a Bachelor's Degree in any discipline or an equivalent qualification from a recognized University or an institution of higher education established by an Act shall be eligible for admission to all postgraduate programmes offered under the Faculty of Arts"

गठित समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या को मा0 कुलपति जी द्वारा दिनांक 20.07.2026 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

अतः समस्त प्राचार्य/प्राचार्यों से अनुरोध है कि समिति की संस्तुति के क्रम में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. उप कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि विद्या परिषद की आगामी बैठक में संसूचित किये जाने हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव, कुलपति जी, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाइल।


कुलसचिव